प्रेषक,

अशोक कुमार सिंह-III,
जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
फतेहपुर।

पत्रांक: 1196 / XV   फतेहपुर :   दिनांक : अप्रैल 18 , 2021

विषयः दीवानी न्यायालय परिसर फतेहपुर को दिनांक 19.04.2021 व 20.04.2021 को कोविड–19 की गाइडलाइंस के अनुसार संक्रमण से बचाव हेतु बन्द किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि दिनांक 16.04.2021 को मेरे प्रसंज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि न्यायालय विशेष न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, फतेहपुर के वाचक श्री रवी कुमार सिंह कोविड–19 धनात्मक पाये गये और वह न्यायालय परिसर के अंदर ही स्थित राजकीय आवास जो कि 200 मीटर की परिधि में है, निवास करते हैं। श्री रवि कुमार सिंह न्यायिक अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के सम्पर्क में आने के कारण मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर को सभी प्रभावित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पी०ए०सी० के जवानों के कोविड–19 टेस्ट के लिए टीम भेजने का आग्रह किया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर द्वारा भेजी गयी कोविड की टेस्टिंग टीम ने टेस्ट करने के दौरान दो न्यायिक अधिकारियों व सात कर्मचारियों, न्यायालय परिसर में निवास करने वाले संक्रमित कर्मचारी की पत्नी एवं पी० ए० सी० के एक जवान का एण्टीजेन टेस्ट धनात्मक पाया। मुख्य चिकित्साधिकारी व जिलाधिकारी की लिखित राय के अनुसार न्यायालय परिसर को दो दिनों के लिए बन्द करके सेनेटाइजेशन कराया जाना आवश्यक है इसलिए मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1941/LXXX VII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित अप्रैल 05, 2021 में दी गयी गाइडलाइंस के क्रमांक 8 व 9 के प्रकाश में सिविल कोर्ट परिसर फतेहपुर को 19.04.2021 व 20.04.2021 के लिए बन्द कर दिया गया है। प्रशासनिक आदेश व मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर व जिलाधिकारी फतेहपुर के पत्रों की प्रतियॉं इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि स्थिति से माननीय न्यायालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

सादर।

संलग्नक–यथोक्त ।
दिनांक 18.04.2021

भवदीय,

(अशोक कुमार सिंह-III)
जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

Scanned with CamScanner

कार्यालय जनपद न्यायाधीश फतेहपुर।

प्रशासनिक आदेश संख्या 101/IV/2021 दिनांक: अप्रैल 18, 2021

आदेश

मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर ने पत्रांक मु0चि0अ0/कोविड–19/2021–22 दिनांकित 17.04.2021 के माध्यम से आज दिनांक 18.04.2021 को प्रातः लगभग 10:00 बजे अवगत कराया कि कोविड–19 टेस्ट के लिए जनपद न्यायालय परिसर हेतु भेजी गयी टीम द्वारा एण्टीजेन टेस्ट के दौरान 12 न्यायिक अधिकारियों/कर्मचारियों का एण्टीजेन टेस्ट धनात्मक पाया गया है। मुख्य चिकित्साधिकारी ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 356/पॉच–5–2021 दिनांक 02.03.2021 का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कार्यस्थल को विसंकमित करने के लिए 24 घण्टे तथा उसके पश्चात 48 घण्टे की अवधि तक बन्द किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार परिसर में न्यायिक कार्य उक्त अवधि अर्थात 72 घण्टे के उपरांत कार्यस्थल पर फिर से कार्य शुरू किया जा सकता है। मुख्य चिकित्साधिकारी ने न्यायालय परिसर को 48 घण्टे की अवधि के लिए बन्द किया जाना आवश्यक बताया है तथा साथ ही साथ कोविड–19 संक्रमण रोकने के लिए जनपद न्यायालय फतेहपुर के सम्पूर्ण परिसर न्यायालय, कार्यालय एवम सम्पूर्ण अधिवक्ता शेडों को सेनेटाइजेशन कराने की राय दी है।

जिलाधिकारी फतेहपुर के पत्रांक 500/एस0टी0–डी0एम0 दिनांक 18.04.2021 में जिलाधिकारी, फतेहपुर ने मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर की राय से सहमति व्यक्त की है और न्यायालय परिसर को 48 घण्टे के लिए बन्द करने की संस्तुति की है।

इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि दिनांक 17.04.2021 को दिन में कोविड–19 के परीक्षण के दौरान दो न्यायिक अधिकारियों व सात कर्मचारियो, 01 कर्मचारी की पत्नी जो कि न्यायालय परिसर स्थित कालोनी में ही निवास करती है एवं न्यायालय परिसर में सुरक्षा में लगे पी0ए0सी0 के एक जवान का एण्टीजेन टेस्ट धनात्मक पाया गया है और मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर और जिलाधिकारी फतेहपुर की राय के अनुसार जनपद न्यायालय परिसर, फतेहपुर एवं न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) खागा, फतेहपुर को 48 घण्टे के लिए बन्द करके सम्पूर्ण कचेहरी, न्यायालय, कार्यालय सम्पूर्ण अधिवक्ता शेडों व तहसील परिसर वाह्य न्यायालय खागा के न्यायालय, कार्यालय व अधिवक्ता शेडों को सेनेटाइज कराया

Scanned with CamScanner

जाना आवश्यक है इसलिए मै, अशोक कुमार सिंह, जिला न्यायाधीश फतेहपुर, अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं एवम वादकारियों के जीवन की रक्षा व सुरक्षा के दृष्टिकोण से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या 1941/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित अप्रैल 05, 2021 में दी गयी गाईडलाइन के कम संख्या–8 के प्रकाश में सिविल कोर्ट परिसर फतेहपुर एवं न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) खागा, फतेहपुर के परिसर को दिनांक दिनाक 19.04.2021 एवं 20.04.2021 के लिए बन्द करता हूँ। **<u>जिलाधिकारी, फतेहपुर व मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर यह सुनिश्चित करेंगें कि इन दोनो दिनों में सम्पूर्ण कचेहरी परिसर न्यायालय, कार्यालय, सम्पूर्ण अधिवक्ता शेडों का सेनेटाइजेशन चिकित्सीय दिशा निर्देशों के अनुरूप कडाई से (strictly as per medical guidelines) कराया जायेगा तथा प्रत्येक कार्य दिवस में कार्यावधि के पश्चात सैनेटाइजेशन की कार्यवाही की जायेगी।</u>**

प्रभारी अधिकारी नजारत श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय के स्वयं कोविड–19 धनात्मक पाये जाने के कारण सहायक प्रभारी अधिकारी नजारत श्री राज बाबू, सिविल जज (सी0डि0) फतेहपुर व केन्द्रीय साध्यपाल सेनेटाइजेशन के कार्य को देखेंगें और सेनेटाइजेशन के पश्चात प्रत्येक दिन रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगें कि सेनेटाइजेशन की कार्यवाही ठीक प्रकार से (properly) की गयी अथवा नही। दिनांक 19.04.2021 एवं 20.04.2021 को बेल व रिमाण्ड का कार्य अवकाश के दिनों की भांति सम्पादित किया जायेगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर सुनिश्चित करेंगी कि बेल व रिमाण्ड की कार्यवाही अवकाश के दिनों की भॉति सम्पादित होती रहे।

दिनांक 19.04.2021 एवं 20.04.2021 को नियत आवश्यक प्रार्थनापत्रों का निस्तारण न्यायालय के खुलने के दिन किया जायेगा तथा दिनांक 19.04.2021 एवं 20.04.2021 को नियत वाद भी न्यायालय के खुलने के दिन प्रस्तुत होंगें और सम्बन्धित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण इन वादों में सामान्य तिथियॉ नियत करेंगें।

जिलाधिकारी, फतेहपुर व मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर से यह अपेक्षा की जाती है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत गाइडलाइंस के प्रकाश में तहसील बिन्दकी और वाह्य न्यायालय तहसील खागा का प्रत्येक दिवस सेनेटाइजेशन कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी करें। खागा एवं बिन्दकी के दोनो न्यायिक अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता है कि वह न्यायालय परिसर, न्यायालय व कार्यालय का सेनेटाइजेशन अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करें तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्गत पत्र संख्या 1941/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित अप्रैल 05, 2021 में दी गयी

Scanned with CamScanner

गाइडलाइंस व मेरे द्वारा इस सम्बन्ध में पारित प्रशासनिक आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

दिनाक 18.04.2021

(अशोक कुमार सिंह–III)
जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

प्रतिलिपि–

1. महानिबन्धक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय जनपद न्यायालय परिसर फतेहपुर।
3. जिलाधिकारी फतेहपुर व मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि सम्पूर्ण न्यायालय परिसर, न्यायालय कार्यालय, सम्पूर्ण अधिवक्ता शेडों का सेनेटाइजेशन चिकित्सीय दिशा निर्देशों के अनुरूप कडाई से (strictly as per medical guidelines) नियमित रूप से कराया जाये।
4. समस्त न्यायिक अधिकारी जनपद न्यायालय फतेहपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
6. सहायक प्रभारी अधिकारी नजारत जनपद न्यायालय फतेहपुर।
7. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बिन्दकी व वाह्य न्यायालय खागा फतेहपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
8. अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसियेशन फतेहपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
9. जिला सूचना अधिकारी जनपद फतेहपुर को जनसाधारण के मध्य सूचनार्थ प्रकाशित कराये जाने हेतु।
10. केन्द्रीय नाजिर को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक 18.04.2021

जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

Photo copy attested

Chief Administrative Officer
District Judge's Court
Fatehpur
18-4-2021

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

सेवा में,

मा0 जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

विषय – कोविड–19 एण्टीजन टेस्ट रिपोर्ट में 12 अधिकारियों/कर्मचारियों के कोविड धनात्मक पाये जाने के सम्बन्ध में।

पत्रांकः 500 /एस0टी0–डी0एम0 दिनाँक 18.04.2021

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर के पत्रांक–मु0चि0अ0/ कोविड–19 /2021–22 /183 दिनांक 17.04.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि दिनांक 17.04.2021 को न्यायिक अधिकारियों/कर्मचारियों का कोविड–19 का टेस्ट टीम भेज कर कराया गया, जिसमें 12 अधिकारी/कर्मचारी एण्टीजन टेस्ट में पाजिटिव पाये गये। मुख्य 'चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुर की आख्यानुसार न्यायालय परिसर सेनेटाजेनशन कराते हुए 24 घण्टे एवं उसके पश्चात 48 घण्टे की अवधि तक बन्द किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार परिसर में न्यायिक कार्य उक्त अवधि अर्थात 72 घण्टे के उपरान्त पुनः प्रारम्भ किया जा सकता है।

अतएव मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फतेहपुर की आख्या दिनांक 17.04.2021 मूलरूप में संलग्न कर संस्तुति सहित सादर प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीया,
18/04/2021
(अपूर्वा दुबे)
जिलाधिकारी, फतेहपुर।

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

मुख्य चिकित्साधिकारी

फतेहपुर।

सेवा में

मा0 जनपद न्यायाधीश

फतेहपुर।

पत्रांकः मु0चि0अ0 / कोविड–19 / 2021–22 / 183 दिनांकः 17 / 04 / 2021

विषयः– **कोविड–19 एण्टीजेन टेस्ट रिपोर्ट में 12 अधिकारियों / कर्मचारियों के कोविड धनात्मक पाये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र के क्रम में दिनांकः 17 / 04 / 2021 को न्यायिक अधिकारियों / कर्मचारियों के कोविड–19 के टेस्ट के लिए जनपद न्यायालय टीम भेजी गयी थी, जिसमें कि 12 अधिकारियों / कर्मचारियों एण्टीजेन टेस्ट में पॉजीटिव पाये गये है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्याः 356 / पांच–5–2021 दिनांकः 02 / 03 / 2021 के अनुसार कार्य स्थल को विसंक्रमित करने के 48 घण्टे के पश्चात उक्त स्थल पर फिर से कार्य शुरू किया जा सकता है।

उक्त पत्र में यह भी उल्लिखित किया गया है कि शासन के निर्देशानुसार न्यायालय परिसर में 24 घण्टे में 12 घण्टे के अन्तराल पर 02 बार सेनेटाइजेशन करना आवश्यक है। इस प्रकार आई0सी0एम0आर0 प्रोटोकॉल के अनुसार न्यायालय परिसर सेनेटाइजेशन के लिए 24 घण्टे एवं उसके पश्चात 48 घण्टे की अवधि तक बन्द किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार परिसर में न्यायिक कार्य उक्त अवधि अर्थात 72 घण्टे के उपरान्त ही पुनः प्रारम्भ किया जा सकता है। अतः प्रशासन की आवश्यकतानुसार कोविड–19 के संक्रमण को रोकने हेतु जनपद न्यायालय , फतेहपुर के सम्पूर्ण परिसर, न्यायालय, कार्यालय तथा सम्पूर्ण अधिवक्ता शेड का सेनेटाइजेशन कराना आवश्यक हो गया है।

सेवा में सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

मुख्य चिकित्साधिकारी

फतेहपुर

पत्रांकः मु0चि0अ0 / कोविड–19 / 2021–22 / दिनांकितः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, फतेहपुर।
2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद फतेहपुर।
3. जिला सर्विलांस अधिकारी, आई0डी0एस0पी0 फतेहपुर।

मुख्य चिकित्साधिकारी

फतेहपुर

Scanned with CamScanner